कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर नगर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अधिकारी व प्राईवेट व्यक्ति कुल 06 आरोपियों की मिली एसीबी कोर्ट से 10 अगस्त तक पुलिस अभिरक्षा।**

जयपुर, *07 अगस्त, सोमवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय पर जयपुर शहर–तृतीय इकाई द्वारा जयपुर नगर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, ठेकेदार एवं दो अन्य व्यक्ति (प्राईवेट व्यक्ति) 2 लाख 20 हजार रूपये रिश्वत लेते–देते रंगे हाथे गिरफ्तार प्रकरण में आज मुल्जिमान को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपीगण मायाराम सैनी, अधिशासी अभियंता, प्रदीप कनिष्ठ अभियंता, ठेकेदार पदमचंद जैन, मलकेत सिंह सुपरवाईजर कम्पनी, प्रवीण कुमार प्राईवेट व्यक्ति एवं राकेश चौहान को 10 अगस्त तक पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया।

एसीबी **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के नेतृत्व में एसीबी की 02 टीमो द्वारा पदम चन्द जैन के होटल पोलोविक्ट्री की तलाशी जारी है। होटल के कमरे में चल रहे ऑफिस से सील व मोहर जो एम.एन.आई.टी के विशेषज्ञो से संबंधित पाई गई है तथा फरार आरोपी महेश मित्तल के कार्यालय पर एसीबी टीम द्वारा तलाशी जारी है। श्री हिमाशुं कुलदीप अति. पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर–तुतीय द्वारा आरोपीगण से प्रकरण के संबंध में गहन पूछताछ कर प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।